

दाखल ता 22 MAR 2016

परिवाद-पत्र

SCCN-898
16

महायुक्त अधीक्षक

महान्यायालय, न्यायाधीश सो. प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय, दौण्ड की सेवा में सविनय सादर

12. RPF थाना :- लोनी
13. मामला रजि.क्रमांक :- 275/2016
14. धारा :- 167 रेल अधिनियम
15. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 22-03-2016 को समय 10.50 से 11.00 बजे
16. घटनास्थल :- TNO 51325 में अल्लो से चपत बीच
17. फरियादी का नाम व पता :- आ.प्र.अ. 0602251, कृषीप पटेल, RPF/थाना/लोनी
18. संलिप्त व्यक्ति का नाम व पता :- भोलाशिव S/o जियेदाश राम उम 30 वर्षी.
पता- केशवगंज, लुपल, जि. कुन
19. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-

20. मा.न्यायालय में हाजिर रहने की दिनांक व समय :- दिनांक 22-03-2016 को समय 13.00 बजे

21. जांच अधिकारी का नाम व पता :- एम. एम. गायकवाड ASI/SI/RPF/थाना/लोनी

22. घटना की संक्षिप्त हकिकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 22 / 03 / 2016 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ति व्दाय कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से अपेक्षा है में बिडी पिकर छुपाने के लक्ष्य रेल अधिनियम की धारा 167 उल्लंघन किया है। कारणवश उक्त व्यक्ति को रेल अधिनियम के तहत "नोटीस" जारी कर उचित कानूनी कार्यवाही होने हेतु मा.न्यायालय के समक्ष उक्त मामला विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ति के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

मे.हु.को.जा.व्हावे.

संलिप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर :-

संलग्न दस्तावेज :- फरियाद, नोटीस

सिरीक्षक
आर. पी. एफ. थाना, लोनी
Inspector
R.P.F. Thana, Loni

दंड जवा 1001
पावती क्र 0024003

मह. अधीक्षक,
महान्यायालय नौड

बला गन्हा केबल भार

21/1/16

समक्ष

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी

लोहमार्ग, दौंड,

22 MAR 2016

Under Exn. 01 The contents of Plea read as follows and explained in words which he understood and admitted his guilt for the Commission of the offence.

Hence he is convicted and Sentenced

to Pay a Fine of Rs. 100/- LD. Rs. 100/-

Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Rly.) Daund

22 MAR 2016

कलशमिनी
अस. प्र. वि. अ. प्र.
Inspector
M.P.F. Thane, Lon